न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–154 / 2023

दर्ज तिथि–29 / 05 / 2024

प्रार्थीगण

1. धर्मेश भारद्वाज पुत्र श्री बेनीप्रकाश भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी 37 जगदम्बा कॉलोनी विस्तार, मीणा पालडी जयपुर।
2. प्रवीण भारद्वाज पुत्र बैनीप्रसाद भारद्वाज जाति ब्राहमण निवासी केशव ग्लोबल एकेडमी ग्रेटर कैलाश सुमेल रोड, पुरानी चुंगी आगरा रोड, जयपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. कल्याण सहाय पुत्र रघुनाथ जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम महाराजपुरा, तहसील बस्सी,जिला जयपुर राजस्थान।
3. लाल पुत्र रामधन जाति गूर्जर निवासी राजपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय दिनांक 18 / 06 / 2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं काश्त की भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 1.6186 है0. वाके ग्राम महाराजपुरा, पटवार हल्का श्यामपुरा कचोलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर, में प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 144 रकबा 1.6186 है0. वाके ग्राम महाराजपुरा, पटवार हल्का श्यामपुरा कचोलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ तहसील बस्सी द्वारा किये गए सीमाज्ञान दिनांक 03 / 05 / 2024 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश चाहा है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 को भेजे रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदे एवं पोस्ट ऑफिस की ट्रेककन्साइमेण्ट रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर सम्यक तामिल मानी जाती है बावजूद सूचना अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी संख्या 1 का जवाब प्राप्त हुआ। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट दिनांक 11 / 06 / 2024 एवं तहसीलदार बस्सी की प्रमाणित छायाप्रति रिपोर्ट दिनांक 11 / 06 / 2024 के अनुसार खसरा संख्या 144 रकबा

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

1.6186 है0. वाके ग्राम महाराजपुरा, पटवार हल्का श्यामपुरा कचोलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर प्रार्थी के खातेदारी में स्वीकार होना व विवादित अराजियात की सीमाए स्पष्ट है। तहसीलदार बस्सी की रिपोर्ट अनुसार व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील प्रार्थी की उक्त प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन करने के पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान धारा 111 में विहित रिति से किये जाने का प्रावधान है। धारा 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाज्ञान वर्तमान सर्वेक्षण मैप के आधार पर किया जावेगा। ग्राम महाराजपुरा के सर्वेक्षण मैप में खसरा संख्या 144 रकबा 1.6186 है0. वाके ग्राम महाराजपुरा, पटवार हल्का श्यामपुरा कचोलिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर, कि सीमाऐ स्पष्ट है। अप्रार्थी तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कि विवादित भूमि के पडौसी काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करते हुऐ ग्राम महाराजपुरा, का सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह प्रार्थी के खर्चे पर मुताबिक धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावाधानो अनुसार करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्थ पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना नियमानुसार करें।

यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दुसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। आदेश की प्रति तहसीलदार बस्सी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8/6/2024

(मुकुट सिंह)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

उप खण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी
सत्यमेव जयते
जिला जयपुर